न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, बिजनौर
सत्र परीक्षण संख्या 401 सन् 2019
CNR No. UPBJ010083972019
सरकार बनाम नकुल

आरोप

मैं, सुनील कुमार–पंचम, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1, बिजनौर आप **नकुल** को निम्न प्रकार आरोपित करता हूं :–

प्रथमतः यह कि दिनांक 26–10–2018 को ग्राम नारनौर थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत आपके द्वारा वादी मुकदमा के पति विपिन त्यागी की साशय हत्या तमन्चे से गोली मारकर कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयतः यह कि आपके द्वारा वादी मुकदमा के पति विपिन त्यागी की हत्या करके साक्ष्य को विलोपन किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि धारा–201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपो के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक 26.11.2020

(सुनील कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 1,
बिजनौर
J.O. Code-UP2028

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनॉक 26.11.2020

(सुनील कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 1,
बिजनौर
J.O. Code-UP2028

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, बिजनौर
सत्र परीक्षण संख्या 401 सन् 2019
CNR No. UPBJ010083972019
सरकार बनाम नकुल

आदेश

पुकार कराई गयी। अभियुक्त एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया।

अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया। उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया। अभियुक्त नकुल के विरूद्व धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध हेतु आरोप विरचित किया जाना विधि संगत पाया जाता है। अतः अभियुक्त नकुल के विरूद्व धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि0 03–12–2020 को पेश हो। साक्षीगण आहूत किए जाए।

दिनॉक 26.11.2020

(सुनील कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 1,
बिजनौर
J.O. Code-UP2028